

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 69/2019

निर्णय दिनांक - 27.05.2019

हीरालाल पिता जयराम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. नारायणलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।
2. बद्रीलाल पिता जयराम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बोराखेड़ी, पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 373 की आराजी नं. 670, 671 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 374 की आराजी नं. 650, 651 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बोराखेड़ी, पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 373 की आराजी नं. 670, 671 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 374 की आराजी नं. 650, 651 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



401
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

